सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2016 ई0

माघ 22, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–4

संख्या 63/XXX(2)/2016–03(1)/2015

देहरादून, 11 फरवरी, 2016

अधिसूचना

विविध

प0 आ0–27

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 2015

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय।

(ग) "संविधान" से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है।

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(ङ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।

(च) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।

(छ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा अभिप्रेत है।

(ज) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(झ) "सेवा का संवर्ग" से सेवा की सदस्य संख्या अभिप्रेत है।

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवत्त नियमों के अधीन नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ट) "अन्य पिछड़े वर्गो" से समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2001) की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है।

(ठ) "भर्ती का वर्ष" से कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है ।

भाग 2–संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) जब तक उप धारा (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाऐं, सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट–'क' में दी गई है। परन्तु उपबन्ध यह है कि:–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को आस्थगित कर सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) समीक्षा अधिकारी

(एक) पचास प्रतिशत पद "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

(दो) पचास प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो "आयोग" के माध्यम से पदोन्नति द्वारा

(2) सहायक समीक्षा अधिकारी –

(एक) पचास प्रतिशत पद "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

(दो) पचास प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो "आयोग" के माध्यम से पदोन्नति द्वारा

(3) डाटा इन्ट्री आपरेटर–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(4) सहायक लेखाकार –

सहायक लेखाकार के पद पर "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(5) लेखाकार–

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकरों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. सेवा के पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसनें के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामलें में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है । किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये :–

पद	अर्हता
(1) समीक्षा अधिकारी	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता।

		(दो) कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें सम्मिलित होगा:— 1. विन्डो एवं इंटरनेट 2. एम0एस0 वर्ड 3. एम0एस0 एक्सेस 4. एम0एस0 एक्सेल 5. एम0एस0 पावर प्वाईट **स्पष्टीकरण:**— कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति (Qualifying nature) की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(2)	सहायक समीक्षा अधिकारी	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। **(दो)** कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी आवश्यक है। **(तीन)** कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। **(चार)** कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें सम्मिलित होगा:— 1. विन्डो एवं इंटरनेट 2. एम0एस0 वर्ड 3. एम0एस0 एक्सेस 4. एम0एस0 एक्सेल 5. एम0एस0 पावर प्वाईट **स्पष्टीकरण:**— कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति (Qualifying nature) की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(3)	डाटा इन्ट्री आपरेटर	**(एक)** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(दो) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन (Key- Depression) प्रति घण्टा की गति एवं एम0एस0 ऑफिस (M.S.Office) का ज्ञान।

(तीन) अन्य बातों के समान होने पर कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(4) सहायक लेखाकार

सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अर्हतायें धारित करना आवश्यक होगा :–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य की स्नातक उपाधि।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" एवं "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

अनिवार्य / वांछनीय अर्हताएं

10. **(एक)** सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

(दो) सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्त होना वांछनीय होगा।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी नें उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियॉ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को नीचे सारणी में दिये गये पद के सामने विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो :–

क्र0सं0	पद का नाम	न्यूनतम आयु
1.	समीक्षा अधिकारी	21 वर्ष
2.	सहायक समीक्षा अधिकारी	21 वर्ष
3.	डाटा इन्ट्री आपॅरेटर	18 वर्ष
4.	सहायक लेखाकार	21 वर्ष

उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (संशोधन) नियमावली, 2014 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढाई जाय, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र

12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हों। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक योग्यता

14. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, (भाग–2 से 4) के अध्याय भाग–3 में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग 5–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा, और आयोग को सूचित करेगा।

समीक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) सीधी भर्ती करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र का प्रारूप, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनका व्यापक परिचालन हो, में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) चयन के लिए 100–100 अकों की दो लिखित परीक्षाएं होगी। पहली परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन सम्मिलित होगें, दूसरी परीक्षा कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की होगी, जो कि क्वालीफाइंग परीक्षा होगी, जिसमें 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) पहली परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी, जिसके तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा।

सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) सीधी भर्ती करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र का प्रारूप, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनका व्यापक परिचालन हो, में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) चयन के लिए 100–100 अकों की दो लिखित परीक्षाएं होगी। पहली परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन सम्मिलित होगें, दूसरी परीक्षा कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की होगी, जो कि क्वालीफाइंग परीक्षा होगी, जिसमें 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) 50 अंकों की कम्प्यूटर टंकण की एक क्वालीफाइंग प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम गति प्राप्त कर लेने पर अभ्यर्थियों को 50 अंक दिये जायेंगे। न्यूनतम निर्धारित गति से अधिक गति प्राप्त करने

वाले अभ्यर्थियों को पृथक से कोई अंक नहीं दिये जायेंगे। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेगें, जिन्होंने कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए होगें।

(4) उप नियम (2) मे पहली लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी, जिसके तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा।

समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

18. समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी।

डाटा इन्ट्री आपॅरेटर के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया

19.(1) सीधी भर्ती करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन – पत्र का प्रारूप, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों जिनका व्यापक परिचालन हो, में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) चयन के लिए 100 अंको की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन सम्मिलित होगें।

(3) 50 अंकों की कम्प्यूटर टंकण की एक क्वालीफाइंग प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम गति प्राप्त कर लेने पर अभ्यर्थियों को 50 अंक दिये जायेंगे। न्यूनतम निर्धारित गति से अधिक गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक से कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

(4) कम्प्यूटर टंकण की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुनी होगी, प्रयोगात्मक परीक्षा में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता कम में बुलाया जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी।

(6) यदि कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से कम अभ्यर्थी सफल होते हैं तो जितने अभ्यर्थी सफल हुए उनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। शेष रिक्तियों के लिए

पुनः चार गुना अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जायेगी और उसमें सफल अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन किया जायेगा। यह क्रम तब तक चलता रहेगा, जबतक न्यूनतम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित संख्या में प्राप्त न हो जाय।

(7) प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी प्राप्तांको के योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को प्रवीणता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया

20.(1) सीधी भर्ती करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र का प्रारूप, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों जिनका व्यापक परिचालन हो, में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) चयन के लिए 100 अंको की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और एकाउन्टेन्सी सम्मिलित होगा।

(3) इसके अतिरिक्त 50 अंकों की कम्प्यूटर ज्ञान की तकनीकी प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जो कि क्वालीफाइंग परीक्षा होगी।

(4) लिखित परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी।

(5) प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी के प्राप्तांक बराबर हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को प्रवीणता/चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

संयुक्त चयन सूची

21. यदि किसी नियुक्ति वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

22. (1) उपविनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 16, 17 अथवा 19 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन पूर्ण न कर लिया गया हो और नियम 20 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गई हों।

(3) यदि किसी के चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता कम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित किया जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जांय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनो द्वारा की जायं तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट कम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

23. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाय:

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी में संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूपमें की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

24. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में स्थायी कर दिया जायेगा यदि:–

(क) उसने प्रशिक्षण, यदि कोई विहित हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

25. सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग 7–वेतन आदि

वेतनमान

26. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय लागू वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

27. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि पूर्व से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,

और जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु उपबन्ध यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिये नही गिनी जायेगी।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

28. किसी पद पर सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

29. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता 30. जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति 31. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4 का उप नियम (2) एवं नियम 26 का उप नियम (2) देखिये)

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन		
			वेतन बैंड	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1.	समीक्षा अधिकारी	08	PB-2	9,300–34,800	4600
2.	सहायक समीक्षा अधिकारी	12	PB-2	9,300–34,800	4200
3.	डाटा इंट्री आपरेटर	05	PB-1	5200–20,000	2800
4.	सहायक लेखाकार	01	PB-1	5200–20,000	2800

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 कार्मिक/98–2016–100+50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।